



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश सुरक्षित रखा गया : 06-11-2024

आदेश पारित किया गया : 19-11-2024

रिट याचिका (सिविल) सं. 884/2015

1. लक्ष्मी नारायण महतो, पिता- श्री जे. आर. महतो, आयु- लगभग 54 वर्ष, निवासी-
सेक्टर-1, सड़क सं. 3, प्रोफेसर कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, राजस्व विभाग, नया मंत्रालय, महानदी भवन, नया
रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति, द्वारा- सचिव, आदिम जाति अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण संस्थान, पण्डित दीन दयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर-IV, रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, रायपुर मंडल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
4. मुख्य अधीक्षक डाकघर, रायपुर मंडल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
5. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, द्वारा- सचिव, 61, जल विहार कॉलोनी,
रायपुर, छत्तीसगढ़।

..... उत्तरवादी





- याचिकाकर्ता की ओर से : श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता
- उत्तरवादी सं. 1 व 2/ राज्य की ओर से : सुश्री उपासना मेहता, उप शासकीय अधिवक्ता
- उत्तरवादी सं. 5 की ओर से : श्री आशुतोष सिंह कछवाह, अधिवक्ता की ओर से श्री सौरभ शुक्ला, अधिवक्ता

माननीय श्री बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश

सी.ए.व्ही. आदेश

1. वर्तमान याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति (अब से 'समिति') द्वारा पारित 09/01/2015 दिनांकित आदेश (अनुलग्नक P-1) पर प्रश्न उठा रहा है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता के पक्ष में मंडल आयोजक, रायपुर द्वारा जारी 06/02/1982 दिनांकित जाति प्रमाण पत्र को यह मानते हुए निरस्त कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने जाति गड़रिया से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करके अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा./एस.टी.) का उक्त जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व./ओ.बी.सी.) से संबंधित है और नियुक्ति प्राप्त की थी।
2. प्रकरण के तथ्य, जैसा कि वर्तमान रिट याचिका में प्रस्तुत किया गया है, संक्षेप में यह हैं कि:

(i) याचिकाकर्ता वर्ष 1983 में डाक विभाग में डाक सहायक के पद पर नियुक्त हुआ और उसके बाद निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुआ। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह धनगढ़ जाति से है, जिसे अनुसूचित जनजाति के रूप में विधिवत अधिसूचित किया गया है और जिसके लिए 06/02/1982 को उसके पक्ष में जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। सेवा अवधि के दौरान, उसे विभाग द्वारा विधिवत सत्यापित जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उक्त निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने तहसीलदार, महासमुंद से 01/08/1992 पर जाति प्रमाणपत्र (अनुलग्नक P-3)



प्राप्त किया। इस बीच, याचिकाकर्ता की जाति के संबंध में कुछ शिकायतों की गईं और उसी के आधार पर विभाग ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी। विस्तृत जांच करने के बाद, कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण) रायपुर के कार्यालय द्वारा याचिकाकर्ता की जाति का सत्यापन करते हुए 11/03/1999 पर रिपोर्ट (अनुलग्नक P-4) प्रस्तुत की गई, जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है। यहां तक कि पुलिस अधीक्षक के समक्ष की गई कार्यवाही को भी यह देखते हुए बंद कर दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में कोई अपराध नहीं किया गया है।

(ii) उपरोक्त तथ्य के बावजूद, मुख्य अधीक्षक, डाक विभाग ने याचिकाकर्ता के जाति सत्यापन के संबंध में एक प्रश्न (क्वेरी) भेजा, जिसका विधिवत उत्तर अपर कलेक्टर ने दिया है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता का जाति प्रमाणपत्र वास्तविक है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि धनकर/धनगढ़ जाति को छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अधीन विधिवत अधिसूचित किया गया है और इसमें धनगढ़/गढ़रिया भी सम्मिलित है, जिस पर छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा विधिवत विचार किया गया है और इसे शासन द्वारा अधिसूचित 'धनगढ़' शब्द के भीतर सम्मिलित करने की सिफारिश की गई है। उक्त आयोग ने राज्य शासन से धनगढ़, धनखड़, धनगर और गड़रिया से संबंधित याचिकाकर्ता के विरुद्ध जाति सत्यापन के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करने की भी सिफारिश की क्योंकि जांच के बाद वे अनुसूचित जनजाति से संबंधित पाया गया है।

(iii) यद्यपि, विभाग ने याचिकाकर्ता की जाति के सत्यापन के लिए मामले को समिति को भेज दिया। उसकी प्राप्ति के बाद, उत्तरवादी सं.2/समिति ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया, जिस पर याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया और कहा कि उसने कोई अवैधता नहीं की थी। तत्पश्चात् समिति ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया जिसमें उसने सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए और



कहा कि वह धनगढ़ समुदाय से है और वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। यद्यपि, उत्तरवादी ने प्रकरण के पूरे तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार किए बिना याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र को यह अभिनिर्धारित करते हुए निरस्त कर दिया कि अनुसूचित जनजाति का कथित प्रमाणपत्र गढ़रिया जाति के दस्तावेज से संबंधित थे, जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है।

(iv) याचिकाकर्ता के अनुसार, कार्यवाही के दौरान उत्तरवादी ने सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत की गई 31.12.2013 दिनांकित जाँच रिपोर्ट का अवलंब लिया, परन्तु न तो जाँच अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिनके कथन अभिलिखित किए गए थे, उन्हें कार्यवाही में साक्षी के रूप में बुलाया गया है, न ही याचिकाकर्ता को उनका प्रतिपरीक्षण करने का कोई अवसर प्रदान किया गया है। जाति प्रमाणपत्र को निरस्त करते हुए, उत्तरवादी सं. 2 ने विभाग को याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. (क) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि एक बार जब छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (संक्षेप में 'अधिनियम, 2013') और छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 (संक्षेप में, 'नियम, 2013') लागू हो जाते हैं, तो यह जाति के सत्यापन के लिए लागू होता है, क्योंकि पहले के 06/12/2007 दिनांकित आदेश को अतिष्ठित करते हुए, सामान्य प्रशासन विभाग ने 30/03/2013 दिनांकित आदेश द्वारा जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए एक नई समिति का गठन किया जिसे न्यायालय, राज्य शासन और जिला स्तरीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा संदर्भित किया गया है। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता की जाति के बारे में शिकायत



वरिष्ठ डाक अधीक्षक, रायपुर मंडल द्वारा 17/08/2012 को की गई थी। अधिनियम, 2013 और नियम, 2013 के अनुसार याचिकाकर्ता की जाति के सत्यापन के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी परन्तु उक्त उपबंधों में बताई गई प्रक्रिया जो क्रमशः 29/04/2013 और 02/09/2013 को अस्तित्व में आई, का पालन नहीं किया गया है।

(ख) विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश के परिशीलन से, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का जाति प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया गया है, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का जाति प्रमाणपत्र अधिनियम, 2013 के अधीन समिति द्वारा सत्यापित किया गया है और इस तरह, समिति अधिनियम, 2013 और नियम, 2013 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है।

विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि धारा 6 जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति और इसकी शक्ति उपबंधित करती है, जबकि धारा 7 उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के बारे में बात करती है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, नियोक्ता शिकायत को जिला स्तर की प्रमाण पत्र सत्यापन समिति को भेज सकता है, जो इसे समिति को भेज सकती है, परन्तु वर्तमान प्रकरण में, उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति ने याचिकाकर्ता की जाति के सत्यापन के लिए वरिष्ठ डाक अधीक्षक, रायपुर मंडल के अनुरोध पर विचार किया और सत्यापन की कार्यवाही की।

(ग) अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, विद्वान अधिवक्ता **माह. ठाकुर प्रस्तुतत स्वराक्षण समिति बनाम महाराष्ट्र राज्य¹** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय तथा **प्रेमल दास बघेल बनाम अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र ...**, **(छत्तीसगढ़)²** तथा **विद्या कुंभारे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य³** के मामलों में इस

1 AIR 2023 SC 1657

2 AIR OnLine 2018 CHH 932



न्यायालय की समन्वय पीठों के निर्णयों का अवलंब लिया है। वे यह तर्क करने के लिए नियम, 2013 के नियम 14 से 23 का भी अवलंब लेते हैं कि अधिकारियों ने प्रक्रिया का सही परिप्रेक्ष्य में पालन नहीं किया है और याचिकाकर्ता को सुनवाई के अवसर से वंचित कर दिया है और उसे साक्ष्य देने और साक्षियों का परीक्षण करने के अवसर से भी वंचित कर दिया है।

(घ) विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि आक्षेपित आदेश अधिकारिता के बिना है क्योंकि उत्तरवादी अधिनियम, 2013 की धारा 7 के अनुसार केवल राज्य शासन या जिला स्तर की जाति छानबीन समिति द्वारा संदर्भित जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि कर सकता है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अधिनियम, 2013 की धारा 6 और नियम, 2013 के नियम 14 से 23 के अधीन विहित प्रक्रिया को पूरी तरह से मंजूरी दी गई है, जो याचिकाकर्ता को अतिरिक्त अधिकार, अवसर और सुरक्षा प्रदान करती है।

4. (क) उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, इसके विपरीत, निवेदन करते हैं कि समिति **कुमारी माधुरी पाटिल व एक अन्य बनाम अपर आयुक्त, आदिम जाति विकास व अन्य⁴ तथा संचालक, आदिम जाति विकास, आन्ध्र प्रदेश लवेटी गिरि व एक अन्य⁵** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों और निर्णयों का पालन करते हुए उत्तरवादी सं. 3 और 4 द्वारा मामले की जाँच कराई गई और जाँच के दौरान, अभिलेख के अनुसार, यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता की जाति गढ़रिया के रूप में दर्ज की गई है जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है। इसके बाद, सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा प्रकरण की जांच की गई और याचिकाकर्ता के प्रकरण के उचित सत्यापन के बाद, सतर्कता प्रकोष्ठ ने एक रिपोर्ट

3 AIR OnLine 2023 CHH 258

4 (1994) 6 SCC 241

5 (1995) 4 SCC 32



दी जिसमें सभी पहलुओं पर विचार किया गया था। सतर्कता प्रकोष्ठ ने अन्वेषण के दौरान पाया है कि वर्ष 1930-31 के मिसल बंदोबस्त अभिलेख में याचिकाकर्ता के दादा अर्थात् हरिनाथ धनखड़ की जाति को गढ़रिया के रूप में दर्ज किया गया है और यहां तक कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय, कोपरा, विकासखण्ड फिंगेश्वर के वर्ष 1969 के दाखिल-खरीज पंजी में भी, जहां याचिकाकर्ता ने कक्षा-III की शिक्षा प्राप्त की थी, उसकी जाति गढ़रिया के रूप में दर्ज है और याचिकाकर्ताओं के गांव के लोगों के कथन दर्ज किए गए हैं जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता के पूर्वज दो-तीन पीढ़ियों से रह रहे हैं और वे भेड़ और बकरी चराते थे और गाँव में उन्हें गढ़रिया के रूप में जाना जाता है और याचिकाकर्ता जाति से गढ़रिया से संबंधित है। उत्तरवादी सं.2/समिति ने याचिकाकर्ता के प्रकरण की माधुरी पाटिल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मानवशास्त्रीय/नृजातीय शर्तों के अनुसार भी जांच कराई है।

(ख) विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि समिति ने याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य की धनगढ़ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के रूप में सामाजिक प्रास्थिति को साबित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया, परन्तु याचिकाकर्ता इस तथ्य को स्थापित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा कि वह छत्तीसगढ़ राज्य के धनगढ़ अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। याचिकाकर्ता को गढ़रिया जाति का सदस्य पाया गया है जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, सतर्कता प्रकोष्ठ ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता की सामाजिक प्रास्थिति छत्तीसगढ़ राज्य के धनगढ़ अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं दर्शायी गई है। यद्यपि, सतर्कता प्रकोष्ठ ने याचिकाकर्ताओं के पूर्वजों की जाति गढ़रिया होना पाया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का जाति प्रमाण पत्र उत्तरवादी सं.2/समिति द्वारा



उचित रीति से निरस्त किया गया है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

6. सुविधा के लिए कुछ तिथियों और घटनाओं का उल्लेख नीचे किया गया है, जो वर्तमान प्रकरण के निर्णय के लिए सुसंगत हैं:

06.02.1982

सर्कल आयोजक आदिम जाति कल्याण, रायपुर ने याचिकाकर्ता के पक्ष में एक जाति प्रमाणपत्र जारी किया था जिसमें प्रमाणित किया गया था कि वह धनगढ़ जाति से है जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आती है।

10-12-1983

याचिकाकर्ता डाक विभाग में नियुक्त हुआ था।

01-08-1992

तहसीलदार ने याचिकाकर्ता के पक्ष में जाति प्रमाण पत्र जारी किया।

11-03-1999

कलेक्टर के कार्यालय द्वारा जाति सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत।

15-02-2000

डाक विभाग की पूछताछ के संबंध में अपर कलेक्टर ने पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सत्यापन रिपोर्ट वास्तविक है।

17-08-2012

वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर, रायपुर ने याचिकाकर्ता के प्रकरण के सत्यापन के लिए समिति से अनुरोध किया।



17-12-2012

समिति ने मामले को जाँच/अन्वेषण के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ को भेजा।

30-03-2013

इससे पहले की समिति को अतिष्ठित किया गया और अधिनियम, 2013 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए नई उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति का गठन किया गया।

24-06-2013

समिति ने नियोक्ता से याचिकाकर्ता द्वारा प्रारूप (फॉर्म) में जानकारी भराने के लिए कहा।

02-07-2013

याचिकाकर्ता द्वारा अपनी विस्तृत जानकारी देते हुए प्रारूप (फॉर्म) भरा गया।

31-12-2013

सतर्कता प्रकोष्ठ ने समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की।

06-02-2014

समिति द्वारा याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

08-03-2014

विस्तृत जांच और सुनवाई के अवसर की मांग करने वाले संबंधित प्राधिकरण को दस्तावेजों के साथ याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया गया।

28-4-2014, 28-5-2014 और 28-6-2014

याचिकाकर्ता को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय देते हुए तारीख निर्धारित किए गए।



09-01-2015

याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने का आदेश समिति द्वारा पारित किया गया था

7. उपरोक्त तथ्यों से, यह काफी स्पष्ट है कि वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर, रायपुर ने याचिकाकर्ता की जाति की प्रास्थिति के सत्यापन के लिए समिति से अनुरोध किया और समिति ने मामले को जांच/अन्वेषण के लिए सतर्कता प्रकोष्ठ को भेज दिया। इसके बाद, 30-03-2013 पर पिछली समिति को अतिष्ठित कर दिया गया और नई उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति का गठन किया गया। आक्षेपित आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि समिति द्वारा अधिनियम, 2013 के अधीन कार्यवाही की गई थी। इसलिए, चूंकि समिति ने अधिनियम, 2013 के अधीन कार्यवाही की है, इसलिए यह अधिनियम, 2013 और नियम, 2013 के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है।

8. इस तथ्य के परीक्षण के लिए कि समिति ने अधिनियम, 2013 और नियम, 2013 के अधीन गणना की गई प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं, अधिनियम, 2013 की धारा 6,7 और 15 और नियम, 2013 के नियम 14 से 23 के उपबंधों को उद्धृत करना उचित होगा जो निम्नानुसार है:-

अधिनियम, 2013 की धारा 6, 7 और 15:

6. जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति तथा उसकी शक्तियाँ--

(1) राज्य शासन द्वारा सूचित किए गए अनुसार, धारा 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए, एक या अधिक जिलों पर अधिकारिता रखने वाली एक जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति ऐसे स्वरूप में होगी, जैसा विहित किया जाए।



(2) जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के संबंध में, स्वयं के विवेक से या उसके लिए जारी किसी सूचना या संदर्भ के प्राप्त होने पर विहित रीति में ऐसे प्रमाणपत्र का सत्यापन करेगी:

परन्तु नियोक्ता, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, केंद्र शासन या राज्य शासन, यथास्थिति सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति को ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति में संदर्भित करेंगे, जैसा विहित किया जाए तथा जिला प्रमाणपत्र सत्यापन समिति का यह कर्तव्य होगा कि नियोक्ता, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, केंद्र शासन या राज्य शासन यथास्थिति, को संदर्भ की प्राप्ति की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर, इसके निष्कर्ष सूचित करें।

(3) जहां प्रथम दृष्टया यह विश्वास करने का कारण हो कि सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र गलत रीति से या कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया है, तो जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति, उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को समस्त सूचना एवं सुसंगत दस्तावेजों के साथ-साथ इसके निष्कर्षों के अभिलेख भी निर्दिष्ट करेगा:

परन्तु जहां जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति को प्रतिकूल निष्कर्ष प्राप्त होता है तो उसे उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को तब तक निर्दिष्ट नहीं करेगी जब तक कि व्यक्ति, जिसका सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र विवादित है, को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता।





(4) जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगी तथा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को इस धारा की उप-धारा (3) के अधीन निर्दिष्ट करने हेतु ऐसी समय सीमा का अनुसरण करेगी, जो विहित की जाए।

7. उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति--

(1) राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 6 के अधीन जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति या राज्य शासन द्वारा उसको निर्दिष्ट सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्रों की जांच करने के लिए एक या अधिक उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति या समितियों का गठन करेगा। उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति का यह कर्तव्य होगा कि जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के रिपोर्ट का परीक्षण करे तथा इस अधिनियम के अध्याय-4 के अधीन विहित पर अग्रसर हो।

(2) उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जैसा कि विहित किया जाए:

परन्तु यह कि जहां उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति प्रतिकूल निष्कर्ष पर पहुंचने का निर्णय लेती है, वह तब तक ऐसा नहीं करेगी जब तक कि व्यक्ति, जिसका सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र विवादित है, को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।



15. इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों द्वारा सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग किया जाना-- इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी, अपीली प्राधिकारी, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति और उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को, इस अधिनियम के अधीन जांच करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियां, विशेषतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में प्राप्त होंगी, अर्थात्:-

(क) किसी भी साक्षी को सम्मन भेजने एवं कार्यवाही में उपस्थित रहने एवं उसकी शपथ पर परीक्षा करने;

(ख) कोई भी दस्तावेज प्रकटीकरण करवाने एवं प्रस्तुत करवाने;

(ग) शपथ-पत्र पर प्रमाण (साक्ष्य) स्वीकार करने;

(घ) किसी कार्यालय से कोई भी शासकीय अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति आहूत किए जाने की अध्यपेक्षा;

(ड.) साक्षी एवं दस्तावेज की जांच (परीक्षा) करने के लिए कमीशन जारी करने;

(च) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं।

नियम, 2013 के नियम 14 से 23:

14. जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति का गठन-- (1) राज्य शासन सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के सत्यापन के





लिए, एक या अधिक जिलों पर अधिकारिता रखने वाली, जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति का निम्नानुसार गठन करेगा:-

(क) कलेक्टर द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय में पदस्थ अपर कलेक्टर अथवा डिप्टी कलेक्टर, -अध्यक्ष

(ख) कलेक्टर द्वारा नामांकित अनुसूचित जनजाति वर्ग का द्वितीय श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी; -सदस्य

(ग) कलेक्टर द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति वर्ग का द्वितीय श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी; -सदस्य

(घ) कलेक्टर द्वारा नामांकित अन्य पिछड़ा वर्ग का द्वितीय श्रेणी से अनिम्न का एक अधिकारी; -सदस्य

(ङ) संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नामांकित एक विषय विशेषज्ञ अधिकारी अथवा तृतीय श्रेणी का कार्यपालिक कर्मचारी;- सदस्य

(च) सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग;- सदस्य सचिव

(2) सत्यापन समितियों के लिए विषय विशेषज्ञ अधिकारी के पद पर या तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, समुचित अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रकरण संस्थान, रायपुर के द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।





(3) सत्यापन समितियों में नामांकित सेवानिवृत्त विषय विशेषज्ञ अधिकारी या तृतीय श्रेणी कार्यपालिक कर्मचारी के लिए, मानदेय राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(4) सत्यापन समिति की बैठकें, आवश्यकतानुसार प्रत्येक सप्ताह नियत दिवस को आयोजित की जाएंगी:

परन्तु समिति की बैठक भी, अध्यक्ष के निर्देश पर मात्र एक दिवस की अल्प सूचना पर भी आहूत की जा सकेगी।

15. प्रमाणपत्र का सत्यापन एवं सत्यापन समिति को संदर्भिकरण--

(1) यदि यथास्थिति, संबंधित लोक नियोजक, शैक्षणिक संस्थान या संवैधानिक निकाय, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को शिकायत प्राप्त होती है अथवा संदेह उद्भूत होता है कि नियुक्त, प्रवेशित, निर्वाचित, नामित अथवा नामांकित व्यक्ति ने त्रुटिपूर्ण रूप से या कपटपूर्ण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है, तो वह प्रारूप-2 ख में ऐसे व्यक्ति को शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, तथा प्रारूप-1 ख में सत्यापन समिति को प्रकरण निर्दिष्ट करेगा।

(2) सत्यापन समिति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए कुल प्रमाणपत्रों के लगभग 10 प्रतिशत कमरहित नमूना पद्धति के माध्यम से नमूना जांच के रूप में करेगी। आवेदक, सत्यापन समिति से ऐसी सूचना के संबंध में पूछे जाने के लिए स्वतंत्रता नहीं होगी कि उसके प्रमाणपत्र का चयन सत्यापन हेतु क्यों किया गया है।

(3) सत्यापन समिति, किसी भी आवेदक को, उसकी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में प्रारूप-2 ग में शपथ पत्र के साथ प्रारूप-1 ग में






आवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित कर सकेगा तथा नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित ऐसे दस्तावेज को जो उसकी सामाजिक प्रास्थिति के सत्यापन हेतु आवश्यक हो, को प्रकट करेगा।

(4) कोई अनावेदक, किसी प्रमाण पत्र को सत्यापन समिति को संदर्भित करने के स्थान पर, आवेदक को भी निर्देशित कर सकेगा कि वह अपना प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा सत्यापित करावे। ऐसी स्थिति में आवेदक अपना मूल प्रमाणपत्र, प्ररूप-2 ग में शपथ-पत्र के साथ प्ररूप-1 ग में आवेदन तथा नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(5) सत्यापन समिति से उप-नियम (3) के अधीन निर्देशित किए जाने अथवा अनावेदक से उप-नियम (4) के अधीन सत्यापन समिति से प्रमाणपत्र सत्यापित कराने का निर्देश दिए जाने पर, आवेदक, शपथ-पत्र के साथ उपरोक्त उल्लिखित आवेदन पत्र तथा नियम 3 के उप-नियम (3) में यथा अपेक्षित दस्तावेज एक माह की अनधिक अवधि के भीतर, प्रस्तुत करने हेतु आबद्ध होगा, ऐसा करने में विफल रहने पर समिति एक पक्षीय निर्णय ले सकेगी तथा ऐसे आवेदक के प्रमाणपत्र को नियम 18 के अधीन छानबीन समिति को अग्रेषित कर सकेगी,

परन्तु जहां आवेदक सत्यापन समिति को इस बात का समाधान करा देता है कि एक माह कि विहित समयाविधि के भीतर, समुचित कारणों से, आवेदन पत्र, शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है, तो सत्यापन समिति आवेदक के प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए समयावधि बढ़ा सकेगी।





16. सत्यापन समिति द्वारा आवेदन का पंजीयन-- (1) सत्यापन समिति प्ररूप-5 घ में विहित किए गए अनुसार पंजी में आवेदक अथवा अनावेदक से सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीयन करेगी।

(2) सत्यापन समिति, आवेदन पत्र प्राप्त होने के 7 दिवस के अंदर, प्ररूप 5 घ में आवेदक अथवा अनावेदक, यथास्थिति को, उसकी पावती प्रेषित करेगी।

17. सत्यापन समिति के द्वारा प्रमाण पत्र का सत्यापन-- (1) यदि सत्यापन समिति, आवेदन पत्र एवं उससे संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट हो, तो एक माह से अनधिक अवधि के भीतर, आवेदक, उसके पालक अथवा अनावेदक को, अनुसूचित जाति से संबंधित होने पर प्ररूप-4 घ(1) में, अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने पर प्ररूप-4 घ (2) और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने पर प्ररूप-4 घ(3) में सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करेगी:

परन्तु यदि आवेदक, उसका पालक या अनावेदक, यथास्थिति के द्वारा डाक से प्रेषित करने का निवेदन किया जाता है, तो समिति, उसे पंजीकृत डाक से प्रेषित करेगी।

(2) सत्यापन समिति प्ररूप-5 ड. में सत्यापन प्रमाणपत्र का विवरण संधारित करेगा।

(18) आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट न होने पर सत्यापन समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया-- (1) जहाँ सत्यापन समिति आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट नहीं है, तो वह आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिवस के





भीतर अथवा अनावेदक द्वारा संदर्भित होने के पंद्रह दिवस के भीतर, आवेदक तथा अनावेदक को, यदि कोई हो, को तत्संबंध में उक्त कारणों का उल्लेख करते हुए, जिससे वह संतुष्ट नहीं है, सूचित करेगी तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी:


परन्तु सत्यापन समिति तीन माह की अनधिक अवधि में सुनवाई पूर्ण करेगी तथा जहाँ समिति की राय हो कि प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्वक या कपटपूर्वक अभिप्रास किया गया प्रतीत होता है तो नियम 20 के अधीन छानबीन समिति को मूल प्रमाणपत्र सहित सुसंगत दस्तावेज तथा अपने निष्कर्ष जांच के लिए अग्रेषित करेगी तथा आवेदक एवं अनावेदक, यदि कोई हो, को भी सूचित करेगी।

(2) सत्यापन समिति, छानबीन समिति को अग्रेषित प्रमाणपत्र का विवरण प्ररूप-5 च में संधारित करेगी।

19. **उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा मामलों का पंजीयन--** (1) उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति उसे सत्यापन समिति अथवा राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट प्रकरणों को प्ररूप-5 छ में पंजीकृत करेगी।

20. **सतर्कता प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रकरण की जांच--** (1) छानबीन समिति सत्यापन समिति अथवा राज्य शासन द्वारा उसे निर्दिष्ट प्रकरणों में संबंधित समस्त दस्तावेजों तथा प्रमाणपत्र को प्ररूप-6 क में उप पुलिस अधीक्षक के अधीन गठित सतर्कता प्रकोष्ठ की ओर अग्रेषित करेगी;

(2) उप पुलिस उपाधीक्षक अपने अधीनस्थ पुलिस निरीक्षक के माध्यम से प्रकरण की जांच करेगा तथा तदनुसार उसकी सूचना





छानबीन समिति को देगा।

(3) सतर्कता प्रकोष्ठ के पुलिस निरीक्षक-

(क) आवेदक के स्थानीय निवास, मूल एवं सामान्य निवास स्थान या प्रवासित होने के पूर्व उसके मूल निवास स्थान के ऐसे नगर या शहर या गाँव के की तलाश करेंगे;

(ख) यथास्थिति, आवेदक या उसके माता-पिता या उसके पालक द्वारा दावा किए गए सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में सत्यता की जांच लोक दस्तावेजों के आधार पर करेंगे;

(ग) आवेदक के द्वारा सत्यापन समिति को प्रस्तुत आवेदक पत्र में अंकित जानकारी का सत्यापन सुसंगत लोक दस्तावेजों और विश्वसनीय प्रायवेद दस्तावेजों के आधार पर करेंगे;

(घ) ग्राम कोटवार, गाँव सरपंच, हल्का पटवारी, स्थानीय पार्षद, क्षेत्र के अन्य प्रतिनिधियों, स्थानीय राजपत्रित अधिकारियों, ऐसे स्थानीय सदस्यों, जो पूर्व से प्रमाणपत्र धारी हैं तथा आवेदक को भली-भाँति जानते हैं, से जानकारी प्राप्त करेंगे तथा यदि उनमें से कोई उसका मौखिक कथन देने हेतु सहमत है, तो वह स्वयं उनके मौखिक कथन तदानुसार अंकित करेंगे अथवा महत्वपूर्ण गवाहों से शपथ-पत्र के रूप में उनके कथन देने का अनुरोध करेंगे तथा सहमत होने की स्थिति में तदनुसार उनके शपथ-पत्र प्राप्त कर उसकी प्रतिलिपि संबंधित गवाह को देंगे;

(ड.) आवेदक को स्वयं तथा आवेदक के माता-पिता को अपना





पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देंगे तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट किए गए गवाहों के कथन अंकित करेंगे अथवा उनके शपथ-पत्र प्राप्त करेंगे;

(च) परीक्षण के दौरान यदि यह पाया जाता है कि आवेदक के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रयोजन में कोई कूट रचना की गई है, तो दस्तावेज के सुसंगत पृष्ठों की छायाप्रति प्राप्त करने के पश्चात् स्थानीय पुलिस की सहायता से दस्तावेज को जब्त कर एवं उसकी पावती एवं छायाप्रति दस्तावेज संधारित करने वाले प्राधिकारी को देंगे तथा दस्तावेज सीलबंद कर सतर्कता प्रकोष्ठ के उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे;

(छ) जांच- पड़ताल पूर्ण होने के उपरांत, समस्त जांच दस्तावेजों के साथ अपना प्रतिवेदन उप पुलिस उपाधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।

(4) उप पुलिस उपाधीक्षक, छानबीन समिति की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के उपरांत जस दस्तावेज को फॉरेंसिक जांच और तथा हस्त लिपि विशेषज्ञ को उचित टीप के साथ प्रेषित करेगा।

(5) उप पुलिस उपाधीक्षक पुलिस निरीक्षक से प्राप्त दस्तावेजों और फॉरेंसिक तथा हस्तलिपि विशेषज्ञ से प्राप्त निष्कर्षों के साथ आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत छानबीन समिति को प्रस्तुत करेगा।

(6) छानबीन समिति ऐसे प्रतिवेदन का परीक्षण करेगी तथा यदि विह प्रतिवेदन में कोई कमी पाती है तो पुनः ऐसी कमी को इंगित कर सतर्कता प्रकोष्ठ को प्रतिवेदन लौटा कर विनिर्दिष्ट बिंदुओं पर





जाँच करने हेतु निर्देशित करेगी।

(7) पुलिस निरीक्षक तथा उप पुलिस उपरोक्त उल्लिखित अनुसार प्रकरणों की जाँच-पड़ताल का विवरण प्ररूप -5 ज के अनुसार संधारित करेंगे।


21. सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रतिवेदन पर कार्यवाही-- (1) यदि

सतर्कता प्रकोष्ठ की जांच प्रतिवेदन में आवेदक की सामाजिक प्रास्थिति संबंधी दावा न्यायसंगत और उचित प्रतिवेदित है, तो छानबीन समिति को उस पर किसी अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी और यह तदनुसार संबंधित, यथास्थिति, सत्यापन समिति या राज्य शासन एवं आवेदक को अवगत करायेगी।

(2) यदि प्रकरण राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो राज्य शासन के स्तर पर प्रकरण नस्तीबद्ध कर उसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी तथा यदि प्रकरण सत्यापन समिति द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो सत्यापन समिति नियम 17 में उपबंधित रीति में सत्यापन करने के उपरांत मूल और सत्यापित प्रमाणपत्र, यथास्थिति, आवेदक अथवा अनावेदक को प्रेषित करेगी।

22. उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा जांच-- (1)

जहां छानबीन समिति आवेदक के सामाजिक प्रास्थिति के दावे से सतर्कता प्रकोष्ठ की जाँच प्रतिवेदन के अनुसार संतुष्ट नहीं है, तो समिति पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदक को विहित प्ररूप-6 ख में सतर्कता प्रकोष्ठ के प्रतिवेदन के साथ कारण बताओ नोटिस देगी तथा ऐसे नोटिस की प्रतिलिपि अनावेदक को भी (यदि कोई हो





तो) दी जाएगी।

(2) आवेदक का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात्, छानबीन समिति एक बैठक आहूत करेगी जिसमें वह आवेदक को उसके मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करेगी तथा आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाएगा।


(3) छानबीन समिति सुनवाई से संबंधित आम सूचना भी जारी करेगी, जिसका प्रचार प्रसार गाँव में डोंडी पिटवाकर, ईशतहार या अन्य सुविधाजनक माध्यम से किया जाएगा, ताकि कोई व्यक्ति या संस्था आवेदक के दावे का समर्थन या विरोध कर सके और ऐसे व्यक्ति या संस्था को भी यदि कोई हो तो सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(4) आवेदक को स्वयं या उसके अभिभावक को (नाबालगि आवेदक की स्थिति में) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, छानबीन समिति ऐसी जांच कर सकेगी, जिससे वह दावे तथा अन्य आपत्तियों पर विचार कर सके।

(5) छानबीन समिति तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार को तामीली हेतु नोटिस अथवा समन भेजेगी, जो प्ररूप-6 ग में निर्देशित रीति अनुसार नोटिस की तामिल करेगा।

23. छानबीन समिति का निर्णय एवं तत्पश्चात् कार्यवाही--

(1) दावे पर पक्ष एवं विपक्ष दोनों की सुनवाई के उपरांत, आवेदक के दावे की सत्यता के संदर्भ में छानबीन समिति की संतुष्टि होने पर वह सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु, यदि ऐसा आवेदित है,





संबंधित सत्यापन समिति को निर्देशित करेगी।

(2) आवेदक के सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र के उसके दावे के संबंध में सुनवाई के उपरांत यदि छानबीन समिति, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदक का दावा वास्तविक नहीं है, तो वह कारण सहित आदेश पारित कर सकेगी तथा प्रमाण पत्र को निरस्त कर सकेगी।

(3) छानबीन समिति उप-नियम (2) के अंतर्गत आदेश पारित करते समय अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) के अंतर्गत शिकायत प्रस्तुत करने हेतु नियोजक, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकारी, केंद्र शासन या राज्य शासन के एक अधिकारी को प्राधिकृत करेगी तथा आगामी कार्यवाही के लिए प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रतियाँ ऐसे अधिकारी को अग्रेषित करेगी।

(4) छानबीन समिति इस नियम के उप-नियम (2) के अंतर्गत आदेश पारित करते समय संबंधित कलेक्टर को जांच करने हेतु यह निर्देश करेगी कि क्या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऐसा मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र जानबूझकर जारी किया गया है अथवा इस बात की जानकारी रखते हुए जारी किया गया है कि ऐसा प्रमाण पत्र असत्य है अथवा क्या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है तथा कलेक्टर 3 माह के भीतर अंदर अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को अग्रेषित करेगा।

(5) छानबीन समिति मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण का आदेश पारित करने के पश्चात् उसे समपहत करेगी





तथा उसका विवरण प्ररूप-5 झ में विहित किए गए अनुसार पंजी में अंकित करेगी तथा ऐसे प्रमाणपत्र पर "निरस्त और जब्त" के रूप में अंकित किया जाएगा।

(6) छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ अनावेदक को, यदि कोई हों, और ऐसे आदेश को पारित करने के तुरंत बाद पंजीकृत डाक द्वारा आवेदक को भेजी जाएंगी। यदि आवेदक या कार्यालय में उपस्थित कोई अन्य व्यक्ति आदेश की प्रति की मांग करता है, तो उसे उचित शुल्क के भुगतान पर व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा।



9. अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) उपबंधित करती है कि जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति अपने स्वयं के विवेक पर या सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र/पत्रों के संबंध में उसे दी गई किसी भी जानकारी या संदर्भ की प्राप्ति पर, ऐसे प्रमाण पत्र/पत्रों को उस रीति से सत्यापित करेगी जो उसमें विहित किया जा सकता है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में, समिति ने नियोक्ता के अनुरोध/शिकायत पर विचार किया और याचिकाकर्ता की जाति प्रास्थिति को सत्यापित करने के लिए अधिनियम, 2013 के अधीन कार्रवाई की।



10. **विद्या कुम्हारे** (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने कण्डिका 22 व 23 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

22. जिस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि पूरा आक्षेपित आदेश अधिनियम, 2013 के उपबंधों को लागू करते हुए पारित किया गया प्रतीत होता है। उपरोक्त अधिनियम, 2013 उच्चस्तरीय जाति छानबीन समिति को सीधे शिकायत पर विचार करने और संज्ञान लेने और जांच करने का अधिकार नहीं देता है।

23. आक्षेपित आदेश 07.09.2019 दिनांकित अनुलग्नक P/1 विशेष रूप से कण्डिका 2 के वाचन से ही स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि पूरा विवाद सीधे उत्तरवादी सं. 2- उच्चस्तरीय जाति छानबीन समिति को की गई शिकायत से उत्पन्न हुआ था। समिति ने उस शिकायत का संज्ञान लिया है, कार्यवाही कर एक प्रकरण दर्ज किया है, जो इस न्यायालय के मत में विधि के उपरोक्त दो उपबंधों अर्थात् अधिनियम, 2013 की धारा 6 या धारा 7 के अधीन अनुज्ञेय नहीं है

11. उपरोक्त निर्णय में यह टिप्पणी की गई है कि अधिनियम, 2013 उच्चस्तरीय जाति छानबीन समिति को सीधे शिकायत पर विचार करने और संज्ञान लेने और जांच करने का अधिकार नहीं देता है। प्रस्तुत प्रकरण में, समिति ने नियोक्ता के अनुरोध पर विचार किया और कार्यवाही की जो अधिनियम, 2013 के विपरीत है और यहां तक कि नियोक्ता के अनुरोध पर समिति द्वारा की गई कार्यवाही विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है।

12. समिति द्वारा तैयार की गई कार्यवाही के वाचन से ही ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्यवाही, **माधुरी पाटिल** (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निर्धारित योजना/प्रक्रिया के अधीन आगे बढ़ी है; जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने



दयाराम बनाम सुबीर बाथम व अन्य⁶ के मामले में यह निर्णय दिया था कि माधुरी पाटिल (पूर्वोक्त) मामले की पूरी योजना तब तक ही जारी रहेगी, जब तक कि संबंधित विधायिका, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में जाति की स्थिति के दावों के सत्यापन के संबंध में उचित विधि नहीं बना लेती। वर्तमान मामले में, कार्यवाही शुरू की गई है और याचिकाकर्ता की जाति की स्थिति का सत्यापन, माधुरी पाटिल (पूर्वोक्त) मामले में जारी की गई योजना और दिशानिर्देशों के अधीन किया गया है; जबकि वर्ष अधिनियम, 2013 लागू हो चुका था और 30.03.2013 को एक नई समिति का गठन भी हो चुका था। अतः, प्रतिवादी सं. 2/समिति द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही, विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है।

13. आक्षेपित आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि समिति ने अधिनियम, 2013 के उपबंधों को लागू करके आदेश पारित किया है। वस्तुतः यह समिति को सीधे शिकायत पर विचार करने और संज्ञान लेने और जांच करने का अधिकार नहीं देता है। आक्षेपित आदेश के आगे स्पष्ट रूप से वाचन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि पूरा विवाद सीधे समिति को की गई शिकायत से उत्पन्न हुआ था। समिति ने उस शिकायत का संज्ञान लिया है, कार्यवाही करते हुए एक प्रकरण दर्ज किया है, जो इस न्यायालय के मत में अधिनियम, 2013 की धारा 6 और 7 के अधीन अनुमेय नहीं है।

14. याचिकाकर्ता के इस तर्क के संबंध में कि सर्वोच्च न्यायालय और अधिनियम, 2013 द्वारा निर्देशित जांच की प्रकृति अर्ध न्यायिक प्रकृति की है और समिति माह. आदिवासी ठाकुर प्रस्तुतत स्वरक्षण समिति (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिपादन का पालन करने के लिए बाध्य है, जिसमें कण्डिका 28 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है:

28. हमें यहां ध्यान देना चाहिए कि यह न्यायालय उक्त निर्णय में

मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न एक प्रकरण पर विचार कर रहा था,



जहां कुमारी माधुरी पाटिल के प्रकरण के क्षेत्र में कोई विधि मौजूद नहीं थी। अतः उक्त निर्णय में की गई टिप्पणियां कुमारी माधुरी पाटिल के प्रकरण में निर्णय के अधीन बनाई जाने वाली छानबीन समिति की शक्तियों के संदर्भ में हैं। दयाराम और जय चित्रा के मामलों में, इस न्यायालय ने 2000 के अधिनियम या किसी अन्य राज्य में लागू होने वाले समान अधिनियम पर विचार नहीं किया है। 2000 के अधिनियम के साथ-साथ उसके अधीन बनाए गए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति नियमों के संयुक्त वाचन पर, यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि छानबीन समिति केवल प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करती है। 2000 के अधिनियम के अधीन छानबीन समिति को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की विभिन्न शक्तियां सौंपी गई हैं। इन शक्तियों में किसी भी साक्षी की उपस्थिति को लागू करने, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने, साक्षि या दस्तावेजों आदि की परीक्षण के लिए आयोग जारी करने की शक्ति सम्मिलित है। 2000 के अधिनियम की योजना और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों नियमों में छानबीन समिति के लिए, यदि आवश्यक हो, शपथ पर आवेदक की परीक्षण करने, साक्षियों के साक्ष्य दर्ज करने और दस्तावेजों और अभिलेख आदि को आहूत करने के बाद, आवेदक के जाति दावे का परीक्षण करने का प्रावधान है। उम्मीद की जाती है कि छानबीन समिति जाति वैधता प्रमाणपत्र जारी करने के अनुरोध को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज करेगी। इस प्रकार, छानबीन समिति के पास अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के सभी अधिकार हैं।





15. **प्रेमलाल दास बघेल** (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के समन्वय पीठ ने कण्डिका 13 व 14 के में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

13. महाराष्ट्र राज्य व अन्य बनाम रवि प्रकाश बाबूलालसिंह परमार व एक अन्य, 2007 (1) एस. सी. सी. 80 के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्त्यों ने, जाति छानबीन समिति द्वारा निर्वहन की जाने वाली आवश्यक भूमिका और कार्यों का परीक्षण करते हुए, किसी अनिश्चित शब्द का प्रयोग किए बिना अभिनिर्धारित किया है कि जाति छानबीन समिति द्वारा निर्वहन किए गए कर्तव्यों और कार्यों की प्रकृति अर्ध न्यायिक प्रकृति की है।

14. उपरोक्त कारणों से, जाति छानबीन समिति को एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करना होता है, जिसके लिए न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था, जिसके लिए उसे अपने द्वारा एकत्र की गई प्रत्येक सामग्री को उस व्यक्ति के समक्ष प्रकट करने की आवश्यकता थी जिसके विरुद्ध जाँच चल रही थी बल्कि अपने दिमाग को विधिवत लागू कर संबंधित व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का आकलन करने की भी आवश्यकता थी।

16. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आक्षेपित आदेश नियम, 2013 के नियम 20, 21, 22 और 23 का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है क्योंकि न तो परिकल्पना के अनुसार जांच की गई है और न ही सतर्कता रिपोर्ट विधायी अधिदेश के अनुरूप है। आदेश को केवल सतर्कता जांच के रिपोर्ट के आधार पर पारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त जांच स्वयं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का



उल्लंघन है। यहां तक कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन किया गया है और साक्ष्य प्रस्तुत करने और किसी भी साक्षी का प्रतिपरीक्षण करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

17. अतः समिति द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन और गंभीर अधिकारिता संबंधी दोषों से ग्रस्त है क्योंकि समिति ने याचिकाकर्ता द्वारा उसके बचाव में प्रस्तुत दस्तावेज पर विचार किए बिना याचिकाकर्ता के विरुद्ध आक्षेपित आदेश पारित करने में अवैध रूप से अपनी अधिकारिता का प्रयोग किया। शासन द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर प्रदान करने का अर्थ यह है कि सरकारी कर्मचारी को उन आरोपों के विरुद्ध अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया है, जिनके आधार पर जांच की गई है। शासकीय कर्मचारी को अपने दोष से इनकार करने और अपनी बेगुनाही स्थापित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। वह अपने विरुद्ध प्रस्तुत साक्षियों का प्रतिपरीक्षण कर ऐसा कर सकता है। कथन करने का उद्देश्य यह होता है कि सरकारी कर्मचारी अपने विरुद्ध जांच में प्रस्तावित साक्षियों के पिछले कथनों का उल्लेख करने में सक्षम होगा। जब तक उक्त कथन शासकीय कर्मचारी को प्रदान नहीं किए जाते हैं, वह एक प्रभावी और उपयोगी प्रतिपरीक्षा संचालित करने में सक्षम नहीं होगा।

18. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि न केवल पतिपरीक्षण का बल्कि प्रभावी पतिपरीक्षण का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इस तरह के अवसर के अभाव में, यह नहीं माना जा सकता है कि मामले का निर्णय विधि के अनुसार अभिनिर्धारित किया गया है क्योंकि पतिपरीक्षण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक अभिन्न अंग है।

19. अधिनियम, 2013 की धारा 15 व्यवहार न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिनियम के अधीन अधिकारियों के बारे में बात करती है, जो यह उपबंधित करती है



कि इस अधिनियम के अधीन जांच करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं और विशेष रूप से (क) किसी भी साक्षी को बुलाना और उसकी उपस्थिति को लागू करने और शपथ पर उसका परीक्षण करने; और (ख) किसी भी दस्तावेज की खोज करने और उसे प्रस्तुत करने के मामलों में। समिति द्वारा की निर्धारित कार्यवाही के परिशीलन से, यह स्पष्ट है कि सतर्कता रिपोर्ट के आधार पर समिति द्वारा राय दी गई है और याचिकाकर्ता को पतिपरीक्षण का कोई अवसर नहीं दिया गया है और इस तरह, याचिकाकर्ता को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और विशेष रूप से नियम, 2013 के नियम 20 से वंचित कर दिया गया है, जिसमें विहित है कि सतर्कता प्रकोष्ठ जाति प्रमाणपत्र की जांच कैसे करेगा, इसका पालन नहीं किया गया है।

20. ऊपरोक्त कारणों से वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी ने याचिकाकर्ता के जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन करते समय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है और न ही अधिनियम, 2013 और नियम, 2013 का उनके सही परिप्रेक्ष्य में पालन किया है, 09-01-2015 दिनांकित आक्षेपित आदेश, जो 28-4-2015 को याचिकाकर्ता को संचारित किया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों और अधिनियम, 2013 और नियम, 2013 के अनुसार, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की दिनांक से छह माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के जाति प्रमाणपत्र को सत्यापित करने के लिए मामला उत्तरवादी सं.2/समिति को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

21. एक परिणाम के रूप में, रिट याचिका को ऊपर बताए गए हद तक अनुमति दी जाती है, जिससे पक्षकारों को अपना खर्च वहन करना पड़ता है।

सही/-

(बिभू दत्त गुरु)

न्यायाधीश



शीर्ष टिप्पण

जाति छानबीन समिति को अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना होता है, जिसके लिए न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक था, बल्कि उसके द्वारा एकत्र की गई प्रत्येक सामग्री को उस व्यक्ति के समक्ष प्रकट करना भी आवश्यक था जिसके विरुद्ध जाँच चल रही थी।



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही



अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

